

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर

(झोन क्रमांक - 16)

क्रमांक

386

दिनांक

4.5.19

अधिभोग प्रमाण पत्र

प्रति,

सिम्बोसिस फाउन्डेशन,

अ.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा
इन्दौर

विषय :- अ.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा इन्दौर पर **BLOCK-A-1, (01), A (02), BLOCK-H-1, H-2** का अधिभोग प्रमाण पत्र बाबद ।

संदर्भ :- आपका ऑन लाईन आवेदन ।

विषयांतर्गत मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-31(2)(छ) के अंतर्गत आपके एवं लायसेंसी इंजि. के हस्ताक्षर से प्रस्तुत आवेदन एवं पूर्व स्वीकृत मानचित्र दाखला क्रमांक 2338 दिनांक 09.08.2015 के द्वारा स्वीकृत किया गये थे । उक्त के क्रम में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत फ्लिव्य निर्माण स्तर का प्रमाण पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 04.12.2015, 509 दिनांक 06.06.2016 जारी किया गया, स्थल पर सिविल वर्क पूर्ण होने तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के तहत उक्त स्थल पर सर्विस प्रमाण पत्र क्रमांक 4802 दिनांक 21.02.2019 जारी किया गया एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 102 के तहत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र क्रमांक 386 दिनांक 31.5.19 का जारी किया गया ।

भवन में जल संयोजन, ड्रेनेज संयोजन एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था होने निम्न शर्तों के अधीन म. प्र. भूमि विकास नियम 31 के तहत **BLOCK-A-1, (01), A (02), BLOCK-H-1, H-2** हेतु अधिभोग प्रमाण पत्र दिया जाता है :-

- 1 अधिभोग अनुमति से भवन में कोई भी अवैध निर्माण कच्हर / नियमित नहीं होगा । नगर निगम भविष्य में भवन में अवैध निर्माण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे हटाने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- 2 भवन अनुज्ञा दाखला 2338 दिनांक 09.08.2015 की समस्त शर्तों का पालन करना होगा
- 3 वॉटर रिचार्जिंग हेतु स्थापित किए गये संयंत्र के नियमित संधारण की व्यवस्था करना होगी ।
- 4 नियमानुसार निर्धारित पौधों का रोपण कर इस कार्यालय को फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा एवं पौधों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना होगा ।
- 5 प्रकरण में किसी भी विभाग अथवा न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही अधिभोग की स्वीकृति से अप्राभावित रहेगी ।
- 6 **BLOCK-A-06, & Canteen Building, Mess Building, Library Building & Auditorium Building** हेतु प्रत्येक से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- 7 पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों की समस्त शर्तों का यथावत पालन करना होगा ।
- 8 छुपाये गये तथ्यों एवं भूमि संबंधी विवाद अथवा अन्य किसी विभाग से आपत्ति आने पर जारी किया गया अधिभोग प्रमाण पत्र शुन्य माना जावेगा ।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक -16)

नगर पालिक निगम इन्दौर

दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक

प्रतिलिपि :-

- 1 उपायुक्त (राजस्व असेसमेंट विभाग) नगर पालिक निगम इन्दौर की ओर नियमानुसार संपत्तिकर आरोपित करने हेतु प्रेषित ।

भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक -16)

नगर पालिक निगम इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर

(झोन क्रमांक - 16)

क्रमांक

380

दिनांक

3.5.19

कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र

प्रति,

सिम्बोसिस फाउन्डेशन,

अ.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा

इन्दौर

विषय :- अ.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा इन्दौर पर **BLOCK-A-1, (01), A (02), BLOCK- H-1, H-2** का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र बाबद ।

संदर्भ :- आपका ऑन लाईन आवेदन ।

विषयांतर्गत प्रश्नाधीन स्थल पर पूर्व में दाखला क्रमांक 2338 दिनांक 09.08.2015 एवं दाखला क्रमांक 1004 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये थे । उक्त के क्रम में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत प्लानिंग निर्माण स्तर का प्रमाण पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 04.12.2015, 509 दिनांक 06.06.2016 जारी किया गया, स्थल पर सिविल वर्क पूर्ण होने तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के तहत उक्त स्थल पर सर्विस प्रमाण पत्र क्रमांक 4802 दिनांक 21.02.2019 जारी किया गया ।

भवन में जल संयोजन, ड्रेनेज संयोजन एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था होने निम्न शर्तों के अधीन म. प्र. भूमि विकास नियम 31 के तहत **BLOCK- A-1, (01), A (02), BLOCK- H-1, H-2** हेतु कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है :-

- 1 उक्त अनुमति से भवन में कोई भी अवैध निर्माण कट्टर / नियमित नहीं होगा । नगर निगम भविष्य में भवन में अवैध निर्माण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे हटाने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- 2 वॉटर रिचार्जिंग हेतु स्थापित किए गये संयंत्र के नियमित संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी ।
- 3 नियमानुसार निर्धारित पौधों का रोपण कर इस कार्यालय को फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा एवं पौधों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना होगा ।
- 4 सर्विस जैसे की ड्रेनेज व वॉटर के लिए सेप्टिक टैंक व पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है भविष्य में जब भी भूखण्ड के सामने ड्रेनेज व वॉटर लाईन डाली जावेगी तब विधिवत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा
- 5 पूर्व में जारी अनुमति की समस्त शर्तों का यथावत पालन करना होगा ।
- 6 **BLOCK- A-06, & Canteen Building, Mess Building, Library Building & Auditorium Building** हेतु प्रथक से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- 7 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 के तहत नियमानुसार अधिभोग प्रमाण पत्र प्रथक से लेना होगा ।
- 8 प्रकरण में किसी भी विभाग अथवा न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही उक्त स्वीकृति से अप्राभावित रहेगी ।
- 9 छुपाये गये तथ्यों एवं भूमि संबंधी विवाद अथवा अन्य किसी विभाग से आपत्ति आने पर जारी किया गया कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र शून्य माना जावेगा ।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक -16)

नगर पालिक निगम इन्दौर

दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक

प्रतिलिपि :-

- 1 उपायुक्त (राजस्व असेसमेंट विभाग) नगर पालिक निगम इन्दौर की ओर नियमानुसार संपत्तिकर आरोपित करने हेतु प्रेषित ।

भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक -16)

नगर पालिक निगम इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर
(**झोन क्रमांक-16**)

क्रमांक 4802

दिनांक 21/2/19

सर्विस प्रमाण पत्र

प्रति,
सिम्बोसिस फाउन्डेशन,
ख.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा
इन्दौर


विषय :- ख.क्र. 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा बांगडदा इन्दौर
पर हेतु सर्विस प्रमाण पत्र बाबद ।

संदर्भ :- आपका ऑनलाईन आवेदन

विषयांतर्गत स्थल के मानचित्र निगम द्वारा दाखला क्रमांक 2338 दिनांक 09.08.2015 द्वारा भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी तथा उक्त के क्रम में **BLOCK- A-1, (01) & BLOCK- H-1, H-2 & A (02)** हेतु कुर्सी स्तर प्रमाण पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 04.12.2015 से जारी किया गया था । स्थल पर सिविल वर्क पूर्ण होने से तथा आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के तहत वर्तमान में मात्र **BLOCK- A-1, (01) & BLOCK- H-1, H-2 & A (02)** हेतु सर्विस प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधिन जारी किया जाता है -

- 1 यह प्रमाण पत्र विद्युत संयोजन, मल संयोजन एवं जल संयोजन हेतु दिया जा रहा है
- 2 स्वीकृत दाखला क्रमांक 2338 दिनांक 09.08.2015 में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करना होगा ।
- 3 सर्विस प्रमाण पत्र से कोई भूमि विकास नियम 2012 एवं विकास योजना 2021 के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया निर्माण वैध नहीं माना जावेगा । भवन में अवैध निर्माण पाये जाने पर निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।
- 4 स्थल पर अनाधिकृत निर्माण पाये जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा
- 5 भवन पूर्ण होने पर उपयोग करने से पूर्व नियमानुसार अधिभोग एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक -16)

नगर पालिक निगम इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर

(झोन क्रमांक-16)

क्रमांक 509

दिनांक 6/6/16

प्लीन्थ लेवल प्रमाण पत्र

प्रति,

सिम्बोसिस फाउन्डेशन तर्फे

अधिकत हस्ताक्षरकर्ता श्री निलेश पाटिल

खसरा क्रमांक 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य

ग्राम बडा बांगडदा इन्दौर

विषय :- खसरा क्रमांक 169/2, 181/2, 209, 211 व अन्य ग्राम बडा

बांगडदा इन्दौर का प्लीन्थ प्रमाण पत्र देने बाबद ।
(क्रमांक H-1, H-2, A-02, A-06 हेतु)

संदर्भ :- आपका आवेदन क्रमांक 787 दिनांक 17.05.2016

विषयांतर्गत स्थल के स्वीकृत मानचित्र दाखला क्रमांक 1320 दिनांक 29.03.2016 द्वारा भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी । आवेदन करने पर मौका निरीक्षण किया गया । मौके पर स्वीकृति अनुसार एम.ओ.एस. छोडा होने से म.प्र. भूमि विकास नियम 01 जून 2012 के नियम 100 के तहत निम्न शर्तों के साथ प्लीन्थ निर्माण स्तर का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

- 1 प्लीन्थ लेवल के उपर अवैध निर्माण कार्य पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र प्रभाव शून्य होगा ।
- 2 स्वीकृत दाखला क्रमांक 1320 दिनांक 29.03.2016 में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करना होगा ।
- 3 म.प्र. भूमि विकास नियम 01 जून 2012 के नियम 24 के अधीन दखल कार्य अनुज्ञा प्राप्त करने के पूर्व आंतरिक परिवर्धन / परिवर्तन के विचलन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
- 4 भवन निर्माण पूर्ण होने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 01 जून 2012 के नियम 101 एवं 102 के तहत सर्विस प्रमाण पत्र एवं भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

भवन अधिकारी,

(झोन क्रमांक - 16)
नगर पालिक निगम इन्दौर